

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0 नि0 वि0

काठगोदाम (नैनीताल)

Phone /Fax No. 05946-266211,

Email:- eepmgsypwdkath@gmail.com

पत्रांक:- 141 / 3 एम0जी0

दिनांक 13.02.2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय :- जनपद नैनीताल में बैरोली-अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विकास (पी0एम0जी0एस0वाई0) को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून का पत्रांक- 1672 /FP/UK/ROAD/14233/2015 दिनांक 04.12.2015 एवं आपका पत्रांक 2294 / 13-देवालीधारा दिनांक 16.12.2015
महोदय,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1154/X-4-15-1(598)/2015 दिनांक 07-11-2015 द्वारा विषयक मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रादन की गयी है। पत्र में अधिरोपित शर्तों एवं सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

1. शर्त संख्या-1 प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु रु0 563679.00 जमा कर दिया गया है। (Transaction Acknowledgement की प्रति संलग्न)
2. शर्त संख्या-2 शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रु0 605228.00 मात्र जमा कर दिया गया है।
3. शर्त संख्या-3 बड़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि जमा कराने हेतु वचनवद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक -1) कर प्रेषित किया जा रहा है।
4. शर्त संख्या-4 एवं 5 पत्र के निर्देशानुसार सभी धनराशि प्रतिपूर्ति पौधारोपण, निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0- A/C No. 0371001025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा नई दिल्ली- ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स रेसकोर्स के माध्यम से RTGS द्वारा जमा कर दिया गया है। Transaction Reference Number- ORBCR52016092700090144 Dt. 27-09-2016 जमा कराये गये धनराशि के साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र संलग्न (संलग्नक-2) कर प्रेषित किया जा रहा है।
5. शर्त संख्या-6 जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न (संलग्नक-3) कर प्रेषित है।
6. शर्त संख्या-7 वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख संलग्न (संलग्नक-4) कर प्रेषित है।
7. शर्त संख्या-8 निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग स्वीकृति को निरस्त कर सकता है।
8. बिन्दु संख्या 10:- मलवा निस्तारण नापभूमि में किया जाना है।

अतः विषयक मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक :- यथोपरि।

पत्रांक:- / 3 एम0जी0

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0 नि0 वि0,
काठगोदाम (नैनीताल)।
दिनांक : 02.2017

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता(प्रथम), पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0 नि0 वि0 काठगोदाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0 नि0 वि0,
काठगोदाम (नैनीताल)।

पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
काठगोदाम (नैनीताल)

Phone /Fax No. 05946-266211,

Email:- eepmgsypwdkath@gmail.com

पत्रांक:- 11 / 3 एम0जी0
सेवा में,

दिनांक : 7.01.2016

मुख्य अभियन्ता,
यू0आर0आर0डी0ए0,
देहरादून।

विषय:- जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की पत्र संख्या 1154/X-4-15/1(598)/2015 दिनांक 07.11.2015 कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक /FP/UK/ROAD/14233/2015 देहरादून दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक 2294/13-देवलीधार दिनांक 16.12.2015

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों (प्रति संलग्न है) के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन में प्राप्त हुई है।

प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के पत्रांक 2094/13-देवलीधार दिनांक 16.12.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में शर्त सं0 1 में प्रस्तावित स्थल के आसपास यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख रखाव हेतु रू0 5,63,679.00(पाँच लाख तिरसठ हजार छः सौ उन्नासी) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा करने तथा शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 6,05,228.00(छः लाख पाँच हजार दो सौ अठाईस) वन विभाग के पक्ष में जमा करने हेतु सूचित किया गया है। उक्त मदों से सम्बन्धित धनराशि को RTGS के माध्यम से पुष्पक-पृथक बैंक ड्राफ्ट Companstory Afforestation Fund Uttaraanchal SB A/C no- 037100101025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा किया जाना है। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP 0000371 MICR Code-110017007 एवं Branch Code- 000371 है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वन विभाग द्वारा वांछित धनराशि को निर्धारित शीर्षक में जमा कराने का कष्ट करे, ताकि मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 6 सं0

अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
काठगोदाम (नैनीताल)

दिनांक : 7.01.2016

पत्रांक:- 11 / 3 एम0जी0

प्रतिलिपि:- अपर सचिव वन उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप प्रभागीय, वनाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
काठगोदाम (नैनीताल)

पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।
पत्रांक 2294 / 13- देवलीधार दिनांक 16-12-2015.

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0विभाग
काठगोदाम ।

विषय:-

जनपद नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत बरेली अल्मोडा मोटर मार्ग से
सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 है0वन भूमि का भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु
ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून का पत्रांक
1672/ FP/UK /Road/14233 /2015 दिनांक 4-12-2015 । शासन की पत्र सं0
1154/X-4-15 / 1(598)/2015 दिनांक 7-11-2015.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में वन एवं पर्यावरण
अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में शर्त न0 1- के
अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं
10वर्षों के रख रखाव हेतु धनराशि रुपये 5,83,679.00 (रु0 पाँच लाख तिरसठ हजार छः सौ उन्नासी)
मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है ।

2- शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 6,05,228.00 (रु0 छः लाख पाँच
हजार दो सौ अठाईस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है ।

3-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त
संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 3 में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में
प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किय
जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC amendment Rules 2015 के बिन्दु-8
उपबिन्दु-क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी व
सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुसार एन0पी0वी0 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण,आस-पास/मो
मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषि
करेंगे, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेंगे, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय व
ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर
धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगे ।

4-शासन के शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्धता का प्र
पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई
से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी ।

5-शर्त 4 एवं 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशि को RTGS
माध्यम से पृथक-2 बैंक ड्राफ्ट Companionstory Afforestation Fund Uttaranchal SB
037100101025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली में जमा कराने का कष्ट करें । RTGS
कारपोरेशन बैंक का IFSC Code- CORP 0000371 MICR Code - 110017007 एवं Branch C
000371 है । कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा कराई गई धनराशि की पुष्टि हेतु कार
बैंक द्वारा जारी पुष्टि पत्र मय UTR न0 व दिनांक सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अ
भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय इन्दिरा नगर फोरैस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध करने क

सहायक अभियन्ता प्रथम का
आवाहयक कागजी हेतु पेशित

1/11/16

16/12/2015

6- शासन के शर्त न0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संसतुतियों एवं भू-वैश्रानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है ।

7- शासन के शर्त न0 7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना है ।

8- शासन के शर्त न0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोष जनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

9- शासन के शर्त न0 9 के अनुपालन में अवगत कराना है कि कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा शासन को लिखा जायेगा ।

10- बिन्दु न0 10 में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि मलुवा निस्तारण वन भूमि में प्रस्तावित नहीं है यदि है तो विवरण प्रस्तुत करें ।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दु वार अनुपालन आख्या चार-2 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि वॉंछित सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून को उपलब्ध कराई जा सके ।

भवदीया,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रोंक / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत उत्तराखण्ड नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रोंक / उक्तदिनांकित ।

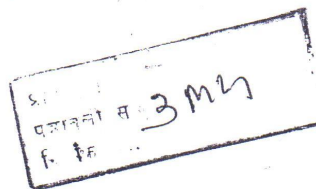
प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को मय शासनादेश 11 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी उत्तरी गौला को मय शासनादेश 11 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

diffmail

Mailbox of eepmgsyathgodam



Subject: Email Alert of CL Payment

From: <monitoring-fc@nic.in> on Tue, 27 Sep 2016 11:44:04

To: <eepmgsyathgodam@rediffmail.com>

Cc: <monitoring-fc@nic.in>

Transaction Acknowledgement

Thank you. Your payment has been successfully deposited with the following details. Please quote your transaction reference number for any queries relating to this request.

Proposal No	FP/UK/ROAD/14233/2015
Application No	ROAD142332015925
Proposal Name	construction of Bariely Almora motor road to Sirsa under PMGSY
Category	Road
Submission Date	30 Jul 2015
Area Applied	0.9212
Transaction Status	Transaction Successful
Transaction Reference Number	CRBCR52016092700090144
Transaction Date	27 Sep 2016
Payment Amount(in Rs.)	1168907/-
Bank	Corporation Bank
Payment Mode	NEFT/RTGS (Challan)

Funds Demand Details	
Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
Safety Zone	: Rs. 0/-
Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
Net Present Value	: Rs. 605228/-
Road Side Plantation & 10 Years Maintenance	: Rs. 563679/-
Total Amount	: Rs. 1168907/-

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

रुपये 370 हजार / 2.15 लाख रुपये
N.R.C.O.
27/9/16

27-Sep-16 11:46 AM

प्रारूप-34

परियोजना विवरण :- जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली-अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग का निर्माण। कि०मी० 1 से 1.75

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि.
काठगोदाम

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि.
काठगोदाम

अभिशासक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि.
P.W.D. काठगोदाम (Naiirai)

परियोजना विवरण :- जनपद नैनीताल मे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली-अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग का निर्माण।
कि०मी० 1 से 1.75

पथ वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पथ वृक्षारोपण की धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा।


कनिष्ठ / अ० सहो अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०,
काठगोदाम (नैनीताल)


सहायक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०,
काठगोदाम (नैनीताल)


अधिशारक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०,
काठगोदाम (नैनीताल)

प्रारूप-51

परियोजना विवरण :- जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली-अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग का निर्माण। कि०मी० 1 से 1.75

एन०पी०वी० की बड़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बड़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड ली.नि.वि.
काठगोदाम

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड ली.नि.वि.
काठगोदाम (नैनीताल)

अतिरिक्त अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड ली.नि.वि.
काठगोदाम (नैनीताल)

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-

Nainital

Dated-26/11/14

No---

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.9212 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engineer, PMGSY Division, P.W.D. Kathgodam (Nainital) (name of user agency) for Construction of Bareilly-Almora M/Road to Sirsa Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Sirsa village in Kushyakutoli tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9212 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto...annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

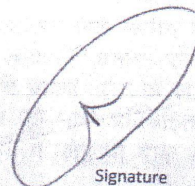
प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated 25/11/14, at time at ~~Nainital~~ in which application claiming rights in rang / area measuring 0.9212 hect for the Construction of Bareilly-Almora M/Road to Sirsa Motor Road (1.75 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: NainitalDated: 25/11/14


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

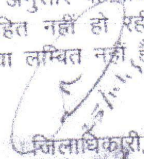
प्रपत्र-23

परियोजना का नाम-- जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली अल्मोडा मोटर मार्ग में सिरसा तक मोटर मार्ग का निर्माण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली अल्मोडा मोटर मार्ग में सिरसा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9212 हेक्टेयर बनभूमि परियोजना एजेंसी पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति, कुरथाकुटौली तथा संबंधित ग्राम राभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। बन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व आदिवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली बन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी,
नैनीताल।


जिलाधिकारी,
नैनीताल।

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम

संक्रिय - 36-36

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
 ग्राम पंचायत का नाम - शिरडी
 तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शिरडी क्षेत्र में शिरडी निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु हो आरक्षित वन भूमि, शिविल सोयम भूमि हो, वन पंचायत भूमि हो अर्थात् कुल 8.12 हो वन भूमि का नैनीताल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत शिरडी द्वारा दिनांक 16/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम शिरडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 8.12 हो प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हो/ Shiradi
 ग्राम पंचायत शिरडी
 जिला नैनीताल
 नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही हो तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

हो/ रणजीत सिंह
 ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1/प्र.स्य- 30-4

दिनांक 16/12/14 का ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की तर्पस्थिति

ग्राम सभा, विरार

क्रमांक	ग्राम सभा में तर्पस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन सिंह	मोहन सिंह
2	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
3	प्रकाश सिंह	प्रकाश सिंह
4	बालम सिंह	बालम सिंह
5	विशाल सिंह	विशाल सिंह
6	रवि सिंह	रवि सिंह
7	मोहन सिंह	मोहन सिंह
8	राजेश सिंह	राजेश सिंह
9	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
10	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
11	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
12	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
13	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
14	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
15	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
16	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
17	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
18	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
19	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
20	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
21	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह

प्रपत्र-23.2

4/11/12-20-12

परिणत जना का नाम-

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- 2012/12

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 2012/12 H.O. आरक्षित वन भूमि 80 अर्थात् कुल 2012 H.O. वन भूमि का सिमेंट एण्ड रोड्स वनभूमि वन पंचायत भूमि 80 अर्थात् कुल 2012 H.O. वन भूमि का प्रयोक्ता एजेसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (नैनीताल) की दिनांक 20/11/12 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री. वि. वि. मिश्र उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री. <u>वि. वि. मिश्र</u> उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. श्री. <u>वि. वि. मिश्र</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. श्री. <u>वि. वि. मिश्र</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4. श्री. <u>वि. वि. मिश्र</u> बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों का अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 2012/12 H.O. वन भूमि का प्रयोक्ता एजेसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत

कमशः 2पर

परिचो जवा के विभागा हेतु 09/12 हेतु वनभूमि प्रयोक्ता एजेंसी का जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील- उज्जैन
जनपद- नैनीताल

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

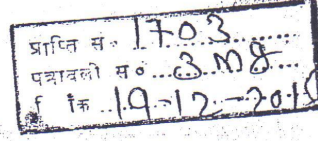
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील-
जनपद- नैनीताल।

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- /FP/UK/ROAD/14233/2015 :देहरादून:दिनांक: 04 दिसम्बर, 2015

में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।



षय:- जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरैली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

दर्श:- वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1154/X-4-15/1(598)/2015 दिनांक 07-11-2015 (प्रति संलग्न)

होदय,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित न भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी प्रा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस-पास/मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 596/3-5-2 दिनांक 19-08-2015 में उल्लिखित निर्धारित दर के अनुसार आंकलित कर जमा की जानी है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र भाग-2 के अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि आंकलित कर जमा की जानी है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC amendment Rules 2014 के बिन्दु-8, उपबिन्दु-क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एन0पी0वी0 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, आस-पास/मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगे, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेंगे, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगे।
4. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी।
5. शर्त संख्या-4 एवं 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कराया जाना है। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code- COOP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड़ शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय UTR नं० व दिनांक सहित भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।

6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद-कार्यबल की संस्तुतियों एवं वैज्ञानिक के सुझावों का-कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना है।

शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना है।

शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

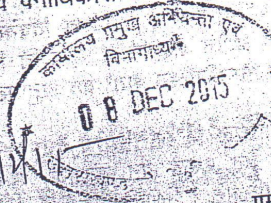
शर्त संख्या-9 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जायेगा।

यदि मलवा निस्तारण वन भूमि पर प्रस्तावित हो तो, मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की मांग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वांछित धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः प्रयोक्ता एजेन्सी से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की वर अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के मध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।

न-यथोपरि।

अपीन 03



भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेफ्टा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

1672/FP/UK/ROAD/14233/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनाधिकारी, जनपद नैनीताल। (संलग्न-यथोपरि)
3. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल। (संलग्न-यथोपरि)
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून। (संलग्न-यथोपरि)
5. अधिशासी अभियन्ता, पी0एस0जी0एस0वर्ड0 खण्ड, लो0नि0वि0 काठमादाम। (नैनीताल) (संलग्न-यथोपरि)

5/11/15

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

(एस0टी0एस0 लेफ्टा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

- पत्रांक 255/ 01(3) व० भू०-नि० 3/2015 दि० 10/12/2015
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अरमोडा। (पी० एम० जी० एस० वर्ड०)
 2. अधीक्षण अभियन्ता पी० एस० जी० एस० वर्ड० खण्ड लो० नि० वि० काठमादाम।
 3. अधिशासी अभियन्ता पी० एस० जी० एस० वर्ड० खण्ड लो० नि० वि० काठमादाम।
 4. आई पत्रावली हेतु।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
18/12/15

५.

इति पर्यावरण अनुभाग-4

जनपद-नैनीताल में बरैली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9212 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

य.

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1372/1जी-FP/UK/ROAD/14233/2015 दिनांक नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय तद-नैनीताल में बरैली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9212 है भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में त प्राविधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के त प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनागत आकृति निम्न प्रकार की है-

आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)

अपर सचिव।

संख्या: 1154 (1)/X-4-15-1(598)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0आई0, काठगोदाम।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)

संयुक्त सचिव।